पत्र सं०–05 / पी०–05 / 2026 02(5) योजना / स्वा०,

झारखण्ड सरकार

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

प्रेषक,

अजय कुमार सिंह,
अपर मुख्य सचिव।

सेवा में,

प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी),
झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांक– 27-04-2026

विषयः वित्तीय वर्ष 2026–27 में स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड के नियंत्रणाधीन स्वास्थ्य उपकेन्द्र / आयुष्मान आरोग्य मंदिर, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, अनुमण्डल अस्पताल, जिला अस्पताल के भवनों के नियमित एवं आवधिक रख–रखाव, संचालन, प्रबंधन, मरम्मति हेतु "मुख्यमंत्री अस्पताल संचालन एवं रख–रखाव योजना" के लिए कुल 1,20,00,00,000/–(एक अरब बीस करोड़) रूपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार विभागीय संकल्प सं०–47(22) दिनांक–03.07.2024 एवं स्वीकृत्यादेश सं०–07(5) दिनांक–06.05.2025 के क्रम में वित्तीय वर्ष 2026–27 में स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड के नियंत्रणाधीन स्वास्थ्य उपकेन्द्र / आयुष्मान आरोग्य मंदिर, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, अनुमण्डल अस्पताल, जिला अस्पताल के भवनों के नियमित एवं आवधिक रख–रखाव, संचालन, प्रबंधन, मरम्मति हेतु "मुख्यमंत्री अस्पताल संचालन एवं रख–रखाव योजना" के लिए कुल 1,20,00,00,000/– (एक अरब बीस करोड़) रूपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. यह एक चालू योजना है, जिसकी स्वीकृति मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (समन्वय) के अधिसूचना संख्या–1269 दिनांक–21.09.2023 के कंडिका संख्या–9 के आलोक में दी जा रही है।

3. स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड के द्वारा समय–समय पर स्थानीय आवश्यकताओं को दृष्टिगत् रखते हुए राज्य के विभिन्न जिलों में स्वास्थ्य उपकेन्द्रों / आयुष्मान आरोग्य मंदिर, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, अनुमण्डल अस्पतालों, जिला अस्पतालों के भवनों का निर्माण कराया गया है।

4. इस योजना के अन्तर्गत सभी स्वास्थ्य उपकेन्द्रों / आयुष्मान आरोग्य मंदिर, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, अनुमण्डल अस्पतालों, जिला अस्पतालों के भवनों के वार्षिक एवं आवधिक रख–रखाव (Annual and Periodical Maintenance) संचालन, प्रबंधन, मरम्मति, इत्यादि के लिए अनाबद्ध निधि (Untied Fund) की व्यवस्था निम्नरूपेण की जायगी :–

क्र०	**चिकित्सीय संस्थान का नाम**	**प्रति संस्थान सुदृढ़ीकरण हेतु अनाबद्ध निधि की राशि**
1	सदर अस्पताल	75,00,000 प्रति वर्ष
2	अनुमंडलीय अस्पताल	50,00,000 प्रति वर्ष
3	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र / रेफरल अस्पताल	10,00,000 प्रति वर्ष
4	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	5,00,000 प्रति वर्ष
5	स्वास्थ्य उपकेन्द्र / आयुष्मान आरोग्य केन्द्र	2,00,000 प्रति वर्ष

(आनन्द कुमार सिन्हा)
अवर सचिव

(ललित मोहन शुक्ला)
संयुक्त सचिव

(अजय कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

4\. 1 अनाबद्ध द्वारा उपलब्ध कराई जा रही राशि का उपयोग निम्न कार्यों के लिए प्राथमिकता/आवश्यकता के अनुरूप की जा सकेगी :–

i. भवन की मरम्मति तथा रंग–रोगन
ii. चाहर दिवारी की मरम्मती/रंग–रोगन
iii. विद्युत व्यवस्था
iv. पेयजल की व्यवस्था
v. साफ–सफाई
vi. मरीजों एवं उनके परिजनों के बैठने की व्यवस्था
vii. दवा
viii. चिकित्सीय मशीन एवं उपकरण
ix. सोलर लाईट
x. रेफ्रिजरेटर
xi. उपस्कर
xii. शौचालय की उपलब्धता
xiii. अग्निशमन व्यवस्था
xiv. वृक्ष रोपण एवं बागवानी
xv. अन्य आवश्यक आकस्मिक कार्य

4.2 दवा क्रय हेतु निर्धारित अन्य मदों में उपबंधित राशि की अनुपलब्धता की स्थिति में इस मद से दवा का क्रय किया जा सकेगा।

4.3 चिकित्सा केन्द्र भवनों के संधारण के क्रम में उक्त भवन के बाहरी भाग की रंगाई–पुताई निम्नवर्णित विवरणी के अनुसार की जाएगी, जिस क्रम में पूर्व से निर्मित भवनों की आवश्यकतानुसार मरम्मति के समय ऐसी रंगाई–पुताई सुनिश्चित की जाएगी :–

क्रमांक	चिकित्सा केन्द्र भवन	निर्धारित रंग
1.	सदर अस्पताल	सफेद
2.	अनुमण्डल अस्पताल	हल्का पीला
3.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	हल्का गुलाबी
4.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	हल्का नीला
5.	स्वास्थ्य उप केन्द्र/आयुष्मान आरोग्य मंदिर	येलो मेटालिक (Yellow Metallic)

4.4 चिकित्सा केन्द्र भवनों में बिजली एवं पानी की उपलब्धता तथा छत, दीवारें, खिड़कियाँ, इत्यादि सदैव अच्छी स्थिति में रखना सुनिश्चित किया जाएगा।

4.5 संबंधित चिकित्सा केन्द्र भवन के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी के द्वारा संबंधित चिकित्सा केन्द्र भवन के संचालन के क्रम में जल/विद्युत विपत्र, इत्यादि का भुगतान ससमय सुनिश्चित किया जाएगा।

4.6 संबंधित सिविल सर्जन के द्वारा उनके जिले में अवस्थित विभिन्न चिकित्सा केन्द्र भवनों पर सौर–उर्जा एवं अन्य गैर–पारम्परिक स्त्रोतों के इस्तेमाल हेतु आवश्यक पहल एवं कार्रवाई की जाएगी।

02(5) स्वा.
27-04-2026

(आनन्द कुमार सिन्हा)
अवर सचिव

(ललित मोहन शुक्ला)
संयुक्त सचिव

(अजय कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

4.7 स्वास्थ्य उपकेन्द्रों/आयुष्मान आरोग्य मंदिरों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, अनुमण्डल अस्पतालों, जिला अस्पतालों के भवनों की साफ–सफाई, सुरक्षा, अग्निशमन व्यवस्था, बागवानी, इत्यादि सेवाओं की व्यवस्था को पारदर्शी प्रक्रिया अपनाते हुए समय–समय पर विभाग के द्वारा निर्गत किए गए निदेशों का अनुपालन करते हुए संबंधित चिकित्सा केन्द्र भवन के प्रभारी पदाधिकारी के द्वारा अपने जिले के सिविल सर्जन के साथ पारस्परिक समन्वय बनाते हुए सुनिश्चित कराया जाएगा।

4.8 अस्पतालों के परिसर के वातावरण को स्वच्छ बनाये रखने हेतु परिसर में जीर्ण–शीर्ण संरचना तथा अनुपयोगी वस्तुओं/वाहनों का विहित प्रक्रिया अनुसार रद्दीकरण करते हुए निपटारा किया जायेगा।

4.9 स्वास्थ्य उपकेन्द्रों/आयुष्मान आरोग्य मंदिरों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, अनुमण्डल अस्पतालों, जिला अस्पतालों के भवनों में सभी चिकित्सा पदाधिकारियों के बैठने का स्थान स्पष्ट रूपेण कक्ष के बाहर अंकित किया जाएगा तथा इन कक्षों के भीतर रोशनी, सफाई, पर्दे, पंखा/ए०सी०, इत्यादि की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।

4.10 प्रत्येक चिकित्सा केन्द्र भवन के प्रभारी पदाधिकारी के द्वारा संबंधित चिकित्सा केन्द्र भवन में प्रचार–प्रसार, चिकित्सकों के बैठने की व्यवस्था संबंधी सूचना, आम जनता संबंधी विभिन्न सूचना इत्यादि का सुगोचर स्थान पर प्रदर्शन करना तथा उसका रख–रखाव सुनिश्चित कराया जाएगा।

4.11 **4.11 योजनाओं का चयन तथा प्रशासनिक स्वीकृति** :

(क) इस योजना के तहत जिला अस्पतालों, अनुमण्डल अस्पतालों, रेफरल अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, स्वास्थ्य उपकेन्द्रों/आयुष्मान आरोग्य मंदिरों को Untied Fund के रुप में निधि उपलब्ध कराया जायेगा। इस निधि के अन्तर्गत उक्त केन्द्रों के संचालन एवं रख–रखाव हेतु योजनाओं का चयन संबंधित केन्द्रों के द्वारा किया जायेगा। योजनाओं का चयन दिशा–निर्देश के आलोक में किया जायेगा। योजनाओं के चयन के पश्चात् उससे संबंधित प्राक्कलन तैयार किया जायेगा। योजनाओं की सूची तथा उससे संबंधित प्राक्कलित राशि की विवरणी कार्य योजना के रुप में तैयार कर उस पर प्रशासनिक स्वीकृति की कार्रवाई की जायेगी।

(ख) प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, अनुमण्डलीय अस्पताल अपने अस्पताल से संबंधित कार्य योजना तैयार कर उसे अनुमण्डल अस्पताल प्रबंधन समिति से पारित कराते हुए संबंधित सिविल सर्जन को भेजेंगे।

संबंधित सिविल सर्जन द्वारा जिला अस्पताल तथा अनुमण्डल अस्पताल प्रबंधन समिति की अनुशंसा उपरांत प्राप्त कार्य योजना पर जिला अस्पताल प्रबंधन समिति की प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करेंगे तथा अपने स्तर से स्वीकृत्यादेश निर्गत करेंगे।

02(S)वी.
27-04-2026

(आनन्द कुमार सिन्हा) अवर सचिव	(ललित मोहन शुक्ला) संयुक्त सचिव	(अजय कुमार सिंह) अपर मुख्य सचिव

(ग) रेफरल अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा स्वास्थ्य उपकेन्द्र/आयुष्मान आरोग्य मंदिर से संबंधित कार्य योजना पर संबंधित अस्पताल प्रबंधन समिति /जन–आरोग्य समिति के अनुशंसोपरांत प्रभारी पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को भेजा जायेगा। प्रभारी पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, रेफरल अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा स्वास्थ्य उपकेन्द्र/आयुष्मान आरोग्य मंदिर से संबंधित सभी योजनाओं पर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के अस्पताल प्रबंधन समिति से प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त कर प्रशासनिक स्वीकृति संबधी आदेश निर्गत किया जायेगा।

4.12 **योजनाओं का कार्यान्वयन** : सभी योजनाओं का कार्यान्वयन निम्न प्रकार से किया जायेगा :–

(क)	जिला अस्पताल	सिविल सर्जन
(ख)	अनुमण्डल अस्पताल/रेफरल अस्पताल/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	संबंधित प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी
(ग)	स्वास्थ्य उप केन्द्र/आयुष्मान आरोग्य मंदिर	संबंधित पदाधिकारी

4.13 सभी योजनाओं के तहत राशि का उपयोग वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार के संकल्प संख्या–वित्त–7/वि०नि०–04/2010–221/वि० दिनांक–03.02.2011 के अनुसार निम्नवर्णित अनुरुप की जाएगी ताकि स्थानीय स्तर पर समाधान योग्य शिकायत/मरम्मति का कार्य नियमानुसार त्वरित रूप से कराया जा सके :–

I. सरकारी विभागों/विभागाध्यक्षों को रू० 1,50,000/–(एक लाख पचास हजार) तक निविदा समाचार पत्र में प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं होगी। मात्र सूचना पट्ट पर निविदा प्रकाशित करनी होगी।

II. रू० 15,000/–(पंद्रह हजार) तक का क्रय कोटेशन प्राप्त कर विहित प्रक्रियानुसार किया जाएगा।

4.14 निर्माण/मरम्मति कार्य से संबंधित मामलों में रू० 1,50,000/–(एक लाख पचास हजार) तक का कार्य विभागीय रूप से कराया जायेगा तथा इससे ऊपर की राशि का कार्य संबंधित जिले के उपायुक्त द्वारा चयनित कार्य एजेन्सी के द्वारा कराया जायेगा।

4.15 **राशि का आवंटन** :

"मुख्यमंत्री अस्पताल संचालन एवं रख–रखाव योजना" के तहत राज्य सरकार द्वारा संबंधित सिविल सर्जन को राशि आवंटित की जायेगी। संबंधित सिविल सर्जन द्वारा निम्न प्रकार से राशि का उपावंटन/निकासी की जायेगी :–

क) सदर अस्पताल से संबंधित राशि का उपावंटन संबंधित सिविल सर्जन द्वारा उपाधीक्षक, संबंधित सदर अस्पताल को किया जायेगा। संबंधित सदर अस्पताल के उपाधीक्षक द्वारा राशि की निकासी Fully Vouched Bill के रूप में किया जायेगा।

02(S) यो.
27-04-2026

(आनन्द कुमार सिन्हा)
अवर सचिव

(ललित मोहन शुक्ला)
संयुक्त सचिव

(अजय कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

ख) अनुमण्डल अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा रेफरल अस्पताल से संबंधित राशि का उपावंटन संबंधित सिविल सर्जन द्वारा संबंधित अस्पताल के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को किया जायेगा। अनुमण्डल अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा रेफरल अस्पताल के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा राशि की निकासी Fully Vouched Bill के रुप में किया जायेगा।

ग) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा स्वास्थ्य उपकेन्द्र/आयुष्मान आरोग्य मंदिर से संबंधित राशि का उपावंटन संबंधित सिविल सर्जन द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को उपलब्ध कराया जायेगा। संबंधित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी इस राशि की अग्रिम निकासी कर उसे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा स्वास्थ्य उपकेन्द्र/आयुष्मान आरोग्य मंदिर के खाते में जमा करेंगे। राशि की उपयोगिता के पश्चात उसका डी०सी० विपत्र संबंधित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी प्रधान महालेखाकार कार्यालय, झारखण्ड, राँची को भेजेंगे।

उपरोक्त कंडिका (क), (ख) एवं (ग) में कार्य प्रमण्डलों द्वारा किये जाने वाले कार्य से संबंधित राशि संबंधित सिविल सर्जन/प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा उनके Civil-Deposit खाते में जमा किया जायेगा।

4.16 योजना पर होने वाले व्यय का विकलन बजट शीर्ष–2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–01–शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ–एलोपैथी–110–अस्पताल तथा औषधालय–AB–मुख्यमंत्री अस्पताल संचालन एवं रखरखाव योजना–05–निर्माण–44–जीर्णोद्धार (विपत्र कोड–20एस–2210–01–110–AB–05–44) के अधीन उपबंधित राशि से किया जाएगा।

इस योजना पर वार्षिक अनुमानित व्यय राशि रूपये 1,20,00,00,000/–(एक अरब बीस करोड़) संभावित है।

4.17 स्वास्थ्य केन्द्रों के आवासीय परिसर की मरम्मति/जीर्णोद्धार संबंधी दिशा–निर्देश अलग से निर्गत किये जायेंगे।

5. इस सम्पूर्ण राशि के नियंत्री पदाधिकारी अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची होंगे।

6. इस स्वीकृत राशि का आवंटनादेश अलग से निर्गत किया जाएगा।

7. राशि की निकासी वित्त विभाग के परिपत्र संख्या–2561, दिनांक–14.07.98 एवं समय–समय पर निर्गत अन्य परिपत्रों के अधीन संबंधित कोषागार से की जाएगी।

8. व्यय किसी भी परिस्थिति में प्रशासनिक स्वीकृत राशि के अन्तर्गत किया जाएगा तथा योजना कार्य निर्धारित अवधि के अन्दर पूर्ण किया जाएगा।

9. झारखण्ड वित्तीय नियमावली (भाग–1) के नियम 473 एवं 475 में निहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना है।

12 (S) यो.
27-04-2026

(आनन्द कुमार सिन्हा)
अवर सचिव

(ललित मोहन शुक्ला)
संयुक्त सचिव

(अजय कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

10. पर्यवेक्षकीय अभियंताओं द्वारा नियमित रूप से कार्य का स्थल निरीक्षण किया जाएगा एवं स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन तैयार किया जाएगा।

11. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार, झारखण्ड, राँची के साथ सुनिश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेगें।

12. योजना का प्रगति प्रतिवेदन (वित्तीय एवं भौतिक) प्रत्येक माह के 10वीं तारीख तक विभाग को अवश्यमेव उपलब्ध कराया जाएगा।

13. प्रस्ताव पर माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

14. प्रस्ताव पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

विश्वासभाजन,

(अजय कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांकः– 02(S) योजना   राँची, दिनांक : 27-04-2026

प्रतिलिपिः

1. प्रधान सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची।
2. प्रधान सचिव, वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची।
3. सचिव, योजना एवं विकास विभाग, झारखण्ड, राँची।
4. अभियान निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, झारखण्ड, राँची।
5. सभी प्रमण्डलीय आयुक्त, झारखण्ड।
6. सभी उपायुक्त, झारखण्ड।
7. निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, झारखण्ड, राँची।
8. सभी सिविल सर्जन, झारखण्ड।
9. संबंधित कोषागार पदाधिकारी, झारखण्ड।
10. माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(आनन्द कुमार सिन्हा)
अवर सचिव

(ललित मोहन शुक्ला)
संयुक्त सचिव

(अजय कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

02(S) यो.
27-04-2026